

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्रीमती दुलारी देवी पति श्री कालेश्वर यादव साव निवासी ग्राम: होन्हे, थाना: टंडवा;, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50 (रैयती) खाता सं. 08, 12, 15 और 01 के अधीन प्लॉट सं. 622, 624, 311 और 620; कुल रकबा - 02.00 एकड़ (रैयती) भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

क. ऊपर उल्लेखित खाता सं. 08, प्लॉट न. 622 जिसका रकबा 0.395 एकड़ है जिसे केवला सं. 7525 दिनांक 29.04.1970 के माध्यम से श्री सच्चिनन्द सिंह पिता रामप्रदारथ सिंह के द्वारा जयमंगल गंझु, करम गंझु पिता भादे गंझु से खरीदगी की गयी थी इस जमीन को दुलारी देवी पति कैलाश यादव को केवला सं. 1727 दिनांक 22.03.2007 के माध्यम से श्री सच्चिनन्द सिंह पिता रामप्रदारथ सिंह से खरीदगी की गयी थी/-

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50 (रैयती) खाता सं. 08, 12, 15 और 01 के अधीन प्लॉट सं. 622, 624, 311 और 620; कुल रकबा - 02.00 एकड़ (रैयती), जिसे सी बी ए, 1957 आधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के तहत श्रीमती दुलारी देवी पति श्री कालेश्वर यादव साव निवासी ग्राम: होन्हे, थाना: टंडवा;, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

28/01/22